

न्यायालय सिविल जज(प्र.ख.)एफ.टी.सी., श्रावस्ती-स्थान भिनगा।

उपस्थित- प्रशान्त कुमार सिंह(उ०प्र० न्यायिक रोधा)

मूल वाद संख्या- ०७/२०१४

मुस्तकीम पुत्र मो० उमर उप्र करीब ६० वर्ष निवारी नासिरगंज परगना चरदा तहसील भिनगा
जनपद श्रावस्ती।

-----वादी

बनाम

१-बाऊर उर्फ रंगीले पुत्र छेदी साकिनान चन्दन कोटिया परगना चर्दा तहसील भिनगा जिला
श्रावस्ती।

२-रहीस पुत्र बाऊर उर्फ रंगीले साकिनान चन्दन कोटिया परगना चर्दा तहसील भिनगा जिला
श्रावस्ती।

३-पंकज पुत्र लक्ष्मी नरायन साकिनान नासिरगंज परगना चर्दा तहसील भिनगा जिला श्रावस्ती।

४-गुड़ू पुत्र समयदीन साकिनान नासिरगंज परगना चर्दा तहसील भिनगा जिला श्रावस्ती।

-----प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी ने यह वाद विवादित सम्पत्ति आराजी संख्या ११९ रकबा ०.०५४ है०, आराजी
संख्या २५७ रकबा ०.०२६ है० एवं गाटा संख्या २६० रकबा ०.००६ है० स्थित मौजा चन्दन
कोटिया परगना चर्दा तहसील भिनगा जिला श्रावस्ती पर बलपूर्वक नाजायज कब्जा करने से रोकने,
निर्माण करने से रोकने एवं वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे एवं दखल में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए
एक स्थायी निषेधात्मक व्यादेश की प्राप्ति हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध योजित किया है।

संक्षिप्त में वाद-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि- विवादित आराजी गाटा संख्या ११९ रकबा
०.०५४ है०, आराजी संख्या २५७ रकबा ०.०२६ है० व गाटा संख्या २६० रकबा ०.००६ है०
कुल तीन किता स्थित मौजा चन्दन को द्या परगना चर्दा तहसील भिनगा जिला श्रावस्ती का वादी
संक्रमणीय भूमिधर, मालिक, काबिज व खील है और भू-राजस्व अदा करता चला आ रहा है।
विवादित उपरोक्त आराजी से प्रतिवादीगण का काई हक मालिकाना व वारता, कब्जा व दखल न रहा
है और न इस समय है। विवादित आराजी पूर्व में मुमताज पुत्र मोहम्मद बक्स के नाम दर्ज कागजात
सरकारी थी। मुमताज पुत्र मोहम्मद बक्स ने अपने जीवनकाल में ही एक अपंजीकृत वसीयतनामा
बहक मुस्तकीम पुत्र मोहम्मद उमर के हक में रुबरु गयाहान लिखवार ढाले वादी कर दिया था।
मुमताज पुत्र मोहम्मद बक्स का कई अर्से पूर्व इन्तकाल हो गया है। उनके स्थान पर नाजायज
उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज कागजात सरकारी हो गया। उसके वाद वादी ने अपने वसीयतनामा के
आधार पर नामन्तरण वाद न्यायालय तहसीलदार भिनगा के यहाँ प्रत्युत किया जो तहसीलदार
महोदय ने अपने यहाँ से न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय जमुनहा को भेज दिया। नायब
तहसीलदार महोदय ने वादी को सुनने के बाद प क ११ का आदेश दिनांक १२.०६.१९५४ को
निरस्त कर दिया और दिनांक ०२.०९.२०१४ को विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश
पारित किया। नायब तहसीलदार महोदय के स्थगन आदेश दिनांक ०२.०९.२०१४ की अवहेलना

करते हुए प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश व धमकी बार-बार दे रहे हैं। प्रतिवादीगण दबंग किस्म के व्यक्ति हैं तथा अपनी दबंगई के बल पर विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं एवं धमकी बराबर दे रहे हैं। वादी के मना करने पर भी प्रतिवादीगण अमादा फौजदारी हो जाते हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को बार-बार कहा कि वे विवादित सम्पत्ति पर दबंगई व सरकसी के बल पर कब्जा करने की कोशिश न करें और निर्माण कार्य भी न करें परन्तु प्रतिवादीगण ने दिनांक १६.०९.२०१४ को ऐसा करने से बिल्कुल इन्कार कर दिया। वादी ने प्रतिवादीगण को बहुत समझाया परन्तु वे कहने से नहीं मान रहे हैं। अतः वादी यह वाद लाया है।

प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद-पत्र के गज संख्या २०क प्रस्तुत कर वाद का विरोध किया है एवं कथन किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति राजव अभिलेख में अकृषक भूमि के रूप में वादी व अन्य २३ व्यक्तियों के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हैं। वादी ने वाद-पत्र में यह साष्ट नहीं किया है कि विवादित सम्पत्ति का वर्तमान स्वरूप किस आधार पर अकृषक भूमि है। वादी ने अपने वाद-पत्र की धारा-३ में एक अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर मुमताज की सम्पत्ति का स्वामी होना कहा है और मात्र उसी अपंजीकृत वसीयत के आधार पर वादी विवादित सम्पत्ति का अपने को स्वामी बता रहा है जबकि उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित सम्पत्ति में मुमताज का कितना हिस्सा था। विवादित सम्पत्ति के मूल खातेदार मोहम्मद बक्स थे तथा मोहम्मद बक्स की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण विवादित सम्पत्ति सिजरा के अनुसार अन्य सहखातेदारों के स्वामित्व व अध्यासन में आई है। मोहम्मद बक्स के पुत्र फकीर (मृतक), मुमताज उर्फ मुत्रा (मृतक), मोहम्मद उमर, खलील अहमद, जहूर एवं यासीन हुए। फकीर अहमद के कोई पुत्र नहीं था और उसका हिस्सा उसकी पुत्री को मिला तथा मुमताज के कोई लड़का नहीं है। मोहम्मद उमर की सन्तानें मुश्तकीन, जाबिर, शमीम, सलीम एवं मुबीन उत्पन्न हुई। खलील अहमद के पुत्र खालिद हुए जिसकी पत्नी का नाम सलमा है। जहूर के पुत्र नियाज, रियाज, मकदूम हुए तथा यासीन के सन्तानें नसीम (मृतक), मो० यार, मो० सिकन्दर एवं विधवा छम्मी हुए। नसीम के तीन पुत्रियां किताबुल, शफीकुन एवं अतीकुन हैं। खादिम रसूल व श्रीमती सलमा ने अपने हिस्से में से प्रतिवादीगणों को कुछ जमीन काफी पहले रूपया लेकर देच दिया था और प्रतिवादीगणों को अपनी उपस्थिति में जमीन नापकर कब्जा दखल दे दिया था। उसी जमीन पर प्रार्थीगण का रिहायशी मकान बना हुआ है। रहखातेदार खादिम व सलमा अपने अंश का आज भी प्रतिवादीगण को बैनामा करने के लिए तैयार हैं किन्तु प्रतिवादीगण की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण प्रार्थीगण अभी बैनामा नहीं करा पाये हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादी का तनहा कब्जा दखल नहीं है इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में वादी को वाद लाने का अधिकार नहीं है। प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा सही तंथ्य छिपाया गया है और असत्य कथनों का समावेश किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद दुर्भविनापूर्ण है और निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत वाद में वादी के साथ खातेदार के रूप में अन्य सहखातेदार जाबिर, शमीम, सलीम, मोवीन, खादिम, सालिमा, रियान, मकदूम, मो० यार, सिकन्दर, छम्मी, किताबुल, शफीकुन व नसीरुल आवश्यक पक्ष मुकदमा है। इस प्रकार मुकदमे में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है।

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा ३४ विशेष अनुभेद अधिनियम के प्राविधिक से बाधित है। प्रतिवादीगण मुजीब वादी से अन्तर्गत धारा ३५(ए) सी०पी०सी० विशेष हर्जा प्राप्त करने के

अधिकारी हैं। प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वत्व का प्रश्न अन्तर्निहित है। इसलिए न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है और वादा अन्तर्गत धारा ३३१ उ०प्र० जर्मीदारी विनाश एवं भू-र जनक अधिनियम के प्राविधान से बाधित है। अतः प्रतिवादीगण ने वादी का वाद निरस्त किये जाने वाले प्रथमा की है।

उभय पक्ष के अभिवचनों के अधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये-

- १- क्या वादी विवादित सम्पत्ति का स्वामी काबिज व दखील है?
- २- क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
- ३- क्या अदा किया गया न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है?
- ४- क्या प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?
- ५- क्या वाद धारा-३४ विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
- ६- क्या प्रतिवादीगण धारा-३५(ए) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वादी से विशेष हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
- ७- क्या वाद धारा-३३१ उ०प्र० जर्मीदारी विनाश अधिनियम से बाधित है?
- ८- क्या वादी को कोई वाद कारण प्राप्त है?
- ९- अनुतोष, जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है?

वादी ने अपने वाद पत्र के कथनों के समर्थन में वादी साक्षी संख्या ०१ मुस्तकीम, वादी साक्षी संख्या ०२ इलियास एवं वादी साक्षी संख्या ०३ बाबूराम शर्मा को परीक्षित कराया है। वादी ने बेचन लाल का साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल किया है परन्तु उसे परीक्षित नहीं कराया है। वादी ने प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची संख्या १०ग से दो प्रलेख, सूची संख्या ४१ग से दो प्रलेख एवं सूची संख्या ६५ग से एक प्रलेख दाखिल किया है।

प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद पत्र के समर्थन में प्रतिवादी साक्षी संख्या ०१ बाउर उर्फ रंगीले, प्रतिवादी साक्षी संख्या ०२ पारसनाथ एवं प्रतेवादी साक्षी संख्या ०३ हमीद को परीक्षित कराया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची संख्या ५६ग से एक प्रलेख, सूची संख्या ५१ग से एक प्रलेख, सूची संख्या ४७ग से पाँच प्रलेख तथा सूची संख्या ६३ग से एक प्रलेख दाखिल किया है।

पत्रावली पर अमीन आख्या मय नवशा नजरी उपलब्ध है।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ०२ एवं ०३-

वाद बिन्दु संख्या ०२ वाद के मूल्यांकन से संबंधित है एवं वाद बिन्दु संख्या ०३ न्यायालय शुल्क से संबंधित है। इन दोनों वाद बिन्दुओं का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक ०५.०७.२०१९ को किया गया है जो उसी निर्णीत अवस्था में इस निर्णय का भाग रहेंगे।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ०१-

वाद बिन्दु संख्या ०१ इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित सम्पत्ति का स्वामी काबिज व दखील है। यह वाद बिन्दु वादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है और इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है।

वादी का कथन है कि वह गाटा संख्या ११९ रकबा ०.०५४ है०, गाटा संख्या २५७ रकबा ०.०२६ है० एवं गाटा संख्या २६० रकबा ०.००६ है० स्थित मौजा चन्दन कोटिया परगना चर्दा तहसील भिनगा जिला श्रावस्ती का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काविज व दाखिल है। वादी का यह भी कथन है कि विवादित सम्पत्ति के पूर्व स्वामी मुमताज पुत्र मो० बकश थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में एक अपंजीकृत वरीयतनामा गवाहों के समक्ष वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया था और वसीयत के आधार पर वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया। जबकि प्रतिवादीगण का कथन है कि विवादित सम्पत्ति राजस्व अभिलेखों में अकृषक भूमि के रूप में वादी एवं २३ अन्य व्यक्तियों के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है तथा वादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित सम्पत्ति में मुमताज का कितना हिस्सा था। प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया है कि विवादित सम्पत्ति के मूल स्वामी मो० बकश थे और मो० बकश की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण विवादित सम्पत्ति सिजरा के अनुसार सहखातेदारों के न्यामित्व व कब्जे में आ गई। खादिम रसूल व श्रीमती सलमा ने अपने हिस्से में से कुछ जमीन प्रतिवादीगण को प्रतिफल प्राप्त करके विक्रय कर दी थी और कब्जा दखल दे दिया था और उसी जमीन पर प्रतिवादीगण का मकान बना दुआ है। परन्तु प्रतिवादीगण की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वैनामा नहीं हो सका। प्रतिवादीगण का यह भी कथन है कि वादी विवादित सम्पत्ति का तनहा स्वामी काविज नहीं है और विवादित सम्पत्ति में अन्य सहखातेदार भी हैं।

कागज संख्या ११८ नकल खतौनी, कागज संख्या ४१८/३ व ४१८/४, कागज संख्या ४७८ नकल खतौनियों ग्राम चन्दन कोटिया परगना चर्दा तहसील भिनगा जिला श्रावस्ती वर्ष १४१९-१४२४ फसली, कागज संख्या ६०८ नकल खतौनी ग्राम चन्दन कोटिया परगना चर्दा तहसील जमुनहा जिला श्रावस्ती वर्ष १४२५-१४३० फसली से दर्शित होता है कि वादग्रस्त गाटा संख्या ११९ रकबा ०.०५४० है०, गाटा संख्या २५७ रकबा ०.०२६० है० एवं गाटा संख्या २६० क्षेत्र ०.००६० है० पर वादी मुस्तकीम के साथ-साथ अन्य व्यक्ति भी सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं।

श्रीमती स्वर्णी बनाम श्रीमती इन्द्रकोर आदि(१९९६)६ एस.सी.सी. पेज २२३ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र राजस्व अभिलेखों में किसी भी सम्पत्ति में दाखिल खारिज हो जाने से कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होता और न ही समाप्त होता है और न ही राजस्व अभिलेखों की किसी प्रविष्टि से स्वत्व में कोई मूल्य उपधारित होता है। राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियां मात्र राजस्व वर्गीय हेतु होती हैं।

यह सुन्धापित विधि है कि वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना है। वह प्रतिवादी की किसी कमी का लाभ नहीं उठा सकता है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था पूनाराम बनाम मोतीराम एवं अन्य सिविल अपील संख्या ४५२७ सन् २००९ में अवधारित किया गया है।

कागज संख्या १२८ सत्यप्रति प्रार्थना पत्र मुस्तकीम दिनांकित ०२.०१.२०१४ से ज्ञात होता है कि वादी मुस्तकीम द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार जमुनहा श्रावस्ती में मुस्तकीम बनाम मुमताज आदि वाद संख्या ७९८ में यह प्रार्थना पत्र दिया गया था कि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरिया कब्जा करके मकान बनाने की धमकी दे रहे हैं और निर्माण सामग्री इकड़ा किये हुए हैं और वादी द्वारा इस प्रार्थना पत्र से स्थगन आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई थी। न्यायालय नायब

तहसीलदार द्वारा विवादित आराजी को विक्रय, विनिमय, बंधक करने से निषेधित किया गया था। इसी आशय का आदेश नकल खतौनियों में भी अंकित किया गया है। कागज संख्या ६५ग/२ प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय/आदेश दिनांकित २४.०९.२०१८ न्यायालय तहसीलदार जमुनहा जिला श्रावस्ती के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी मुस्तकीम द्वारा नामान्तरण वाद योजित किया गया था जिसमें प्रतिवादी बाउर उर्फ रंगीले ने एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्षकार न होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया था और स्थगन आदेश दिनांकित ०९.०२.२०१८ को भी निरस्त कर दिया था। कागज संख्या ५७ग नकल आदेश दिनांकित ०९.०२.२०१८ वाद संख्या आर.एस.टी./७९८/१५३२/२००७-२००८ मुस्तकीम बनाम मुमताज अहमद से विदित होता है कि दिनांक ०९.०२.२०१८ को यह आदेश पारित किया गया था कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक आदेश दिनांकित २४.०५.२०१६ स्थगित किया जाता है। कागज संख्या ६३ग नकल आदेश दिनांकित १९.१२.२०१८ वाद संख्या १०९८/२०१८ न्यायालय उपजिलाधिकारी तहसील जमुनहा जिला श्रावस्ती के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुस्तकीम द्वारा विवादित आराजी को अकृषक घोषित किये जाने पर पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। राजस्व न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि विवादित गाटा संख्या १५९, २५७ एवं २६० पर पक्के मकान एवं दुकानें बनी हुई हैं और उपरोक्त गा.प्रओं पर पूर्णतः आबादी है तथा किरी प्रकार की खेती नहीं होना पाया। इस प्रकार राजस्व न्यायालय द्वारा विवादित गाटाओं को पूर्णतः आबादी की भूमि बताया गया है।

प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा स्वयं को विवादित सम्पत्तियों का मुमताज द्वारा की गई अपंजीकृत वसीयत दिनांकित ०९.०९.१९८३ के आधार पर तनहा स्वामी बताया गया है। इसलिए वादी का यह दायित्व है कि वह मुमताज द्वारा उसके पक्ष में की गई वसीयत के निष्पादन को साबित करे।

वादी साक्षी संख्या ०९ मुस्तकीम ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि मुमताज पुत्र मो० बक्श ने अपने जीवनकाल में एक अपंजीकृत वसीयतनामा मुजहिर के हक में रुबरु गवाहान लिखकर उसके हवाले कर दिया और मुमताज के मरने के बाद उसका नाम उत्तराधिकारी के रूप में सरकारी कागजातों में दर्ज हो गया। वादी साक्षी संख्या ०९ मुस्तकीम ने अपनी प्रति परीक्षा में बयान दिया है कि गाटा संख्या ११९ में कब्जा उसका चल रहा है। उसमें उसका मकान बना हुआ है। उसके कुल मिलाकर तीन मकान हैं। उसके सारे मकान चन्दन कोटिया मौजा में हैं। ये मकान उसने बनवाये हैं। उसके सभी लड़के नासिरगंज मौजा चन्दन कोटिया में रहते हैं। वह एवं उसका परिवार नासिरगंज के मकान में रहते हैं। गाटा संख्या २६०, २५७ व ११९ ऐसे नम्बर हैं जिन्हें वह अब नहीं जोतता है। बाउर उर्फ रंगीले उसके गांव में नहीं रहते हैं, चन्दन कोटिया में रहते हैं। बाउर उर्फ रंगीले का मकान चन्दन कोटिया में बना है। जिस स्थान पर बर्फ मशीन लगी है उस जमीन का विवाद नहीं है। उसने उससे वैसे ही कह दिया था कि मवान बना लो। बर्फ वाले मकान को छोड़कर कितना रकबा बचता है वह नहीं बता सकता। मो० बक्श उसके बाबा हैं। इनके छ: लड़के थे- फकीरे, मुमताज, मो० उमर, खलील अहमद, जहूर और यासीन। इस साक्षी ने प्रतिवादीण द्वारा दिये गये सिजरा खानदान को स्वीकार किया है तथा अपनी प्रति परीक्षा में आगे बयान दिया है कि मो० बक्श के फौत हो जाने के बाद जितने वारिश थे, यह विवादित सम्पत्ति सबके कब्जे में आई। पूरी विवादित

जमीन में उसका छः बीघे का हिस्सा बना है। वादी साक्षी संख्या ०१ ने यह भी स्वीकार किया है कि जो मकान गाटा संख्या २५८ में कुरबान अली का बना हुआ है उसका कोई विवाद नहीं है। उसका ऐसा कोई मकान नहीं है जिस पर जब्न कोटेदार कब्जा करना चाहते हों। झगड़े वाली जमीन के बारे में उसका व जब्न कोटेदार का कोई विवाद नहीं है। जब्न कोटेदार अगर अपने द्वारा बनवाये गये मकान में कोई मरम्मत कराना चाहे तो उसे व ई आपत्ति नहीं होगी। नासिरांज बाजार के अन्दर जब्न कोटेदार का जो मकान बना है वह उसके नम्बर में बना है। उसने वह जमीन जब्न कोटेदार को बेची नहीं थी। झगड़े वाली जमीन मुमताज का हिस्सा है। मुमताज का हिस्सा अभी अलग नहीं हुआ है। उसके इस मुकदमे में जब्न कोटेदार का मकान का विवाद है। जिस जमीन पर जब्न कोटेदार का मकान बना है वह जमीन उसकी उसकी जितनी जमीन पर जब्न कोटेदार व मूने मनीहार का कब्जा है उसके बदले में उन लोगों ने उसे न तो कोई जमीन दी और न ही कोई पैसा दिया है और रंगीले उर्फ बाउर ने भी उसकी जमीन के बदले न तो कोई जमीन दी है और न ही कोई पैसा दिया है और साथे तेरह बिसवा जमीन उसकी कब्जा करके मकान बना लिया है। उसने रंगीले उर्फ बाउर जब्न कोटेदार व मूने मनीहार से कभी जमीन खाली करने या कब्जा छोड़ने के बारे में नहीं कहा। यह कहना सही है कि झगड़े वाली जमीन पर प्रतिवादीण कब्जा किये हैं।

वादी साक्षी संख्या ०२ इलियास ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि विवादित भूमि मुमताज पुत्र मो० बकश के नाम पूर्व में दर्ज थी। मुमत ज ने अपने जीवनकाल में एक अपंजीकृत वसीयतनामा वादी मुस्तकीम के हक में कर दिया था। मुमताज की मृत्यु के बाद से विवादित भूमि पर वादी मुस्तकीम का कब्जा व दखल है। परन्तु वादी साक्षी संख्या ०२ मो० इलियास ने अपनी प्रति परीक्षा में इस तथ्य से अनभिज्ञता जताई है कि मुमताज ने अपनी सम्पत्ति मुस्तकीम को बैनामा से दी थी या वैसे ही दी थी तथा यह भी बयान दिया है कि जिस मकान में मुमताज रहते थे उस मकान का इस मुकदमे में कोई झगड़ा है या नहीं, वह नहीं जानता। मुमताज की किसी सम्पत्ति का झगड़ा इस मुकदमे में है या नहीं, वह नहीं बता सकता। वादी साक्षी संख्या ०२ मो० इलियास ने इस तथ्य से भी अनभिज्ञता जताई है कि मुमताज ने मुस्तकीम के पक्ष में कोई कागज की लिखा-पढ़ी करके सम्पत्ति दिया था या वैसे ही दिया था। वादी साक्षी संख्या ०२ मो० इलियास ने अपनी मुख्य परीक्षा की दफा-०२ जिसमें यह लिखा है कि मुमताज द्वारा मुस्तकीम के पक्ष में वसीयत लिखी गई है, को गलत लिखा होना बताया है तथा यह भी कथन किया है कि जिस विवादित सम्पत्ति के बारे में वह गवाही देने आया है उस विवादित सम्पत्ति को वह नहीं जानता है। इस प्रकार वादी साक्षी संख्या ०२ मो० इलियास ने अपने बयान में वादी के हक में वसीयत से इन्कार किया है तथा विवादित सम्पत्ति को जानने एवं पहचानने से भी इन्कार किया है।

वादी साक्षी संख्या ०३ बाबूराम शर्मा को वादी ने वरापत के लेखक के रूप में वसीयत को साबित कराने हेतु परीक्षित कराया है। वादी साक्षी संख्या ०३ बाबूराम शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुमताज द्वारा अपने जीवनकाल में वादी मुस्तकीम के पक्ष में एक अपंजीकृत वसीयतनामा लिखा जाना बताया है। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में बयान दिया है कि इस मुकदमे में जिन नम्बरों का विवाद है उसे उन नम्बरों का ज्ञान नहीं है। विवादित नम्बरों में से किस-किस नम्बर में क्या-क्या बना है, उसे जानकारी नहीं है। वह जिस दस्तावेज/वसीयत के बारे में गवाही देने आया है वह मुमताज ने मुस्तकीम के हक में वसीयत लिखा था। वसीयतनामे में किसी नम्बर का उल्लेख नहीं

किया गया था बल्कि सम्पूर्ण वल व अचल सम्पत्ति का उल्लेख किया गया था। यह वसीयतनामा ०१.०१.१९८३ को लिखा गया था। वसीयत लिखने के बाद से उसने उस वसीयतनामे की मूल प्रति को कई बार देखा है। मूल वसीयतनामा आज उसने नहीं देखा है। इसलिए बिना मूल वसीयतनामा को देखे वह यह नहीं बता सकता कि पत्रावली में दाखिल कागज उसके हस्तलेख में है कि नहीं। इस प्रकार वादी साक्षी संख्या ०३ बाबूराम शर्मा ने पत्रावली में दाखिल छायाप्रति वसीयतनामा को देखकर यह पहचानने से इन्कार किया है कि उक्त छायाप्रति वसीयतनामा उसके हस्तलेख में है या नहीं।

प्रतिवादी साक्षी संख्या ०१ बाउर उर्फ रंगीले ने बयान दिया है कि विवादित जमीन पहले १६ आदमियों के नाम दर्ज थी। मुमताज के मरने के बाद सम्पत्ति उनके वारिसों के नाम गई है। उसने जो जमीन ली है वह खादिम रसूल से व सलमा बेगम से खरीदी है। यह जमीन उसने करीब २५ साल पहले खरीदी थी। बैनामे के संबंध में कोई दस्तावेज उसने पत्रावली में दाखिल नहीं किया है। प्रतिवादी साक्षी संख्या ०१ रंगीले उर्फ बाउर ने अपने बयान में कथन किया है कि मुमताज की जमीन पर उसका कोई कब्जा नहीं है। इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि स्वयं वादी ने अपने बयान में विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना बताया है और प्रतिवादी ने खादिम व सलमा की जमीन पर अपना कब्जा होना बताया है।

प्रतिवादी साक्षी संख्या ०२ पारसनाथ ने बयान दिया है कि नौ बिसवा जमीन खादिम रसूल व सलमा से बाउर ने लिया था। विवादित सम्पत्ति वाले नम्बर में से ही एक अन्य आदमी ने भी जमीन लिया है जो नबावगंज का रहने वाला है। विवादित भूमि में एक मकान रंगीले उर्फ बाउर का है। विवादित जमीन में रंगीले उर्फ बाउर के ५ कमरे बने हैं। प्रतिवादी साक्षी संख्या ०३ हमीद ने प्रतिवादी रंगीले उर्फ बाउर द्वारा २५-३० साल पहले खादिम रसूल व सलमा से नौ बिसवा जमीन खरीदा जाना बताया है।

धारा-६८ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणन विधि द्वारा अपेक्षित है तो उस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में तभी प्रयोग में लाया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणन साक्षी, यदि जीवित हो तो, उसके द्वारा निष्पादन को साबित नहीं कर दिया जाता है। वादी को वसीयत दिनांकित ०१.०१.१९८३ को साबित करने के लिए वसीयत के गवाह को परीक्षित कराना है जिसने वसीयत को निष्पादित होते हुए देखा हो। कागज संख्या ४१६ २ छायाप्रति वसीयत में गवाहान मूसे पुत्र पंचम एवं महमूद पुत्र वजीर अंकित किये गये हैं तथा वसीयत बाबूराम शर्मा द्वारा लिखी जानी अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत मामले में मुमताज द्वारा की गई तथाकथित वसीयत दिनांकित ०१.०१.१९८३ की मूल प्रति दाखिल नहीं की गई है। धारा-६४ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी दस्तावेज को उसके मूल साक्ष्य द्वारा ही साबित कराया जा सकता है तथा धारा-६५ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान दिया गया है कि किसी दस्तावेज के द्वितीयक साक्ष्य को किस अवस्था में ग्राह्य किया जा सकता है। किसी भी मूल दस्तावेज की द्वितीयक प्रति तब साक्ष्य में ग्राह्य होती है जब उसे प्रस्तुत करने वाला पक्ष मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने का कारण दर्शित करते हुए न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर लेता है। प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा वसीयत की मूल दाखिल न करने का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है और न ही वादी द्वारा द्वितीयक साक्ष्य में वसीयत की प्रति दाखिल करने की अनुमति प्राप्त की गई है।

इसके अतिरिक्त वादी द्वारा वसीयत के गवाहों के जीवित होने या मृत्यु होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। यह सुस्थापित विधि है कि मूल दस्तावेज वसीयत को उसके हासिये के गवाह द्वारा ही साबित कराया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा वसीयत के किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। वादी ने वादी संख्या ०३ बाबूराम शर्मा को वसीयत के लेखक के रूप में गवाह के तौर पर परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में वादी के पक्ष में मुमताज द्वारा वसीयत का निष्पादन होना बताया है परन्तु अपनी प्रति परीक्षा में छायाप्रति वसीयतनामा को अपने हस्तलेख में पहचानने से इन्कार किया है। इसके अतिरिक्त वादी साक्षी संख्या ०२ इलियास ने अपनी मुख्य परीक्षा के विपरीत अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मुख्य परीक्षा में मुमताज द्वारा मुस्तकीम के पक्ष में वसीयत लिखने वाली बात उसने नहीं लिखवाई है। तब यह स्पष्ट है कि वादी जिस वसीयत के आधार पर स्वयं को विवादित सम्पत्ति का तनहा स्वामी कह रहा है, वह उस वसीयत को साबित नहीं कर पाया है।

जैसा कि कागज संख्या ११ग, ४१ग, ६०ग एवं १७ग/२ नकल खतौनियों से दर्शित होता है कि विवादित गाटाओं में वादी के अलावा अन्य व्यक्ति १। सहखातेदार हैं। वादी साक्षी संख्या ०१ मुस्तकीम ने अपनी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि विवादित सम्पत्ति के पूर्व स्वामी उसके बाबा वक्ता थे। मो० बक्श के छः लड़के थे और मो० बक्श की मृत्यु के बाद उसके जितने वारिस थे वे सब विवादित सम्पत्ति पर काविज हो गये। मुमताज का हिस्सा अलग नहीं हुआ है। इस प्रकार वादी स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि विवादित आराजियात मूल रूप में मो० बक्श की थी और मो० बक्श की मृत्यु के बाद विवादित सम्पत्ति उसके सब पुत्रों को प्राप्त हुई। तब मुमताज का विवादित सम्पत्ति का तनहा स्वामी होना सम्भव नहीं है क्योंकि मो० बक्श की मृत्यु के बाद मुमताज अपने ५ भाइयों के साथ विवादित गाटाओं का स्वामी काबिज हुआ था। कागज संख्या ६३ग नकल निर्णय दिनांकित १९.१२.२०१८ उपजिलाधिकारी जमुनहा जिला श्रावस्ती से भी यह दर्शित होता है कि विवादित गाटाओं पर अनेक व्यक्तियों के पक्के मकान बने हुए हैं। वादी साक्षी संख्या ०१ मुस्तकीम अपनी प्रति परीक्षा में विवादित सम्पत्ति की चौहदादी बता पाने में असफल रहा है। वादी साक्षी संख्या ०१ मुस्तकीम के अनुसार गाटा संख्या २६० से मिला हुआ पश्चिम तरफ नम्बर कुरबान अली का है। २५७ गाटा संख्या के पूरब तरफ किसका नम्बर है उसे जानकारी नहीं है। २५७ गाटा संख्या के वादी ने अपने वाद पत्र में विवादित सम्पत्ति की कोई चौहदादी प्रदर्शित नहीं की है तथा वह अपने बयान में भी विवादित गाटाओं की सम्पूर्ण चौहदादी बता पाने में असफल रहा है। वादी साक्षी संख्या ०१ मुस्तकीम ने यह भी बयान दिया है कि प्रतिवादी रंगीले ने विवादित सम्पत्ति पर अपना मकान बना लिया है और प्रतिवादी रंगीले ने जिस सम्पत्ति पर मकान बनाया है उसके लिए कोई धनराशि उसे नहीं दी थी। प्रतिवादी साक्षी संख्या ०१ बाऊर उर्फ रंगीले ने बयान दिया है कि उसकी खरीदी जमीन के पूरब सड़क है जो मालिक भट्ठा तक गई है। इस सड़क से पूरब असराब का मकान बना हुआ है। उसकी खरीदी गई जमीन से पश्चिम अय्यूब का मकान बना है। अय्यूब के बाद बुद्दू का मकान बना है। उत्तर इस्माइल के भट्ठे का गढ़ा है, दक्षिण सड़क है। प्रतिवादी साक्षी संख्या ०२ पारस्पर्नाथ ने बयान दिया है कि विवादित सम्पत्ति के पूरब चक्रोड है, पश्चिम तरफ एक मकान है जो नबावगंज का रहने वाला है, उसका है। उत्तर भट्ठा वाला गढ़ा है और दक्षिण डामर रोड है। प्रतिवादी

साक्षी संख्या ०३ हमीद ने बयान दिया है कि विवादित जमीन के पूरब भिनगा दुआ चकरोड है। उससे मिला हुआ पूरब असराब का मकान है। पश्चिम तरफ अययूब का घर है। उत्तर भट्टा का गङ्गा है। दक्षिण पक्की रोड है। इस प्रकार प्रतिवादी साक्षीगण ने प्रतिवादी रंगीले उर्फ बाउर के कब्जे वाली सम्पत्ति की सीमायें लगभग एक समान बताई हैं। उपरोक्त वर्णित सीमायें अमीन आख्या मय नवशा नजरी २७ग में बताई गई चौहटदियों से मेल खाती हैं।

कागज संख्या ४१ग/२ छायाप्रति वसीयतनामा, ४७ग/४ एवं ४७ग/५ छायाप्रति भूमि विवाद निस्तारण टीम संख्या ११ मय आख्या, कागज संख्या ४७ग/६ छायाप्रति राशन कार्ड, ४७ग/७ छायाप्रति विद्युत बिल जमा रसीद एवं कागज संख्या ४७ग/८ छायाप्रति पहचान पत्र दाखिल किये गये हैं जो मात्र छायाप्रति प्रपत्र हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण विवादित सम्पत्ति पर काबिज हैं। वादी ने विवादित सम्पत्ति की चौहटदी स्पष्ट नहीं की है। विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादीगण का मकान है। वादी स्वयं को गाटा संख्या ११९, २५७ एवं २६० के सम्पूर्ण रक्बे का स्वामी बता रहा है जबकि वादी विवादित गाटाओं के सम्पूर्ण रक्बे का तनहा स्वामी नहीं है। उसके साथ विवादित सम्पत्ति में अन्य सहखातेदार भी हैं। तब इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी विवादित सम्पत्ति का तनहा स्वामी काबिज दखील नहीं है। अतः वाद बिन्दु संख्या ०१ वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ०४-

वाद बिन्दु संख्या ०४ इस आशय का बनाया गया है कि क्या प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। वाद बिन्दु संख्या ०१ के निष्कर्षों से स्पष्ट है कि विवादित गाटाओं पर वादी के अलावा अन्य सहखातेदारों के नाम भी दर्ज हैं। वादी ने अन्य सहखातेदारों को न तो पक्षकार बनाया है और न ही औपचारिक पक्षकार बनाया है। तब यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। अतः वाद बिन्दु संख्या ०४ प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ०५-

वाद बिन्दु संख्या ०५ इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद धारा-३४ विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है। वाद बिन्दु संख्या ०१ के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादी विवादित गाटाओं का तनहा स्वामी काबिज दखील नहीं है। वादी ने यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की प्राप्ति हेतु योजित किया है और वह सम्पूर्ण विवादित सम्पत्ति का स्वयं को स्वामी घोषित करना चाहता है। तब वाद धारा-३४ विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है। अतः वाद बिन्दु संख्या ०५ प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ०७-

वाद बिन्दु संख्या ०७ वाद के धारा-३३१ उ० प्र० जर्मीदारी विनाश अधिनियम से बाधित होने से सम्बन्धित है। वादी का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ विवादित गाटाओं में दर्ज है। विवादित सम्पत्ति कृषि भूमि नहीं है और उसे आबादी की भूमि घोषित किया जा चुका है। तब वाद धारा-३३१ उ० प्र० जर्मीदारी विनाश अधिनियम से बाधित नहीं है और वाद बिन्दु संख्या ०७ प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ०८-

वाद बिन्दु संख्या ०८ वाद कारण से सम्बन्धित है। वादी ने प्रस्तुत वाद सम्पूर्ण गाटा संख्या ११९ रकबा ०.०५४ है०, २५७ रकबा ०.०२६ है० एवं गाटा संख्या २६० रकबा ०.००६ है० पर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया है। जैसा कि वाद बिन्दु संख्या ०९ के निष्कर्षों से स्पष्ट हो चुका है कि वादी सम्पूर्ण गाटाओं का तनहा स्वामी काविज नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति वादी की पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें उसके साथ अन्य व्यक्ति भी सहाय्यसेदार हैं जिनको वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि स्व० वृमताज का हिस्सा पृथक नहीं हुआ है। अर्थात् वादग्रस्त गाटाएं संयुक्त हैं। वादी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी संख्या ०९ ने विवादित सम्पत्ति पर अपना मकान निर्मित करा लिया है तथा अन्य व्यक्ति भी विवादित सम्पत्ति पर काविज हैं। परन्तु वादी द्वारा उक्त निर्माण को हटाने हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। तब वादी को सम्पूर्ण गाटाओं पर तनहा रूप से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तब न्यायालय यह पाता है कि वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है और वाद बिन्दु संख्या ०८ वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ०६ एवं ०३-

वाद बिन्दु संख्या ०६ प्रतिवादीगण द्वारा धारा-३५ए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वादी से विशेष हर्जा प्राप्त करने के संबंध में है तथा वाद बिन्दु संख्या ०९ अनुतोष संबंधी है। वाद बिन्दु संख्या ०९ एवं ०८ के निष्कर्षों से स्पष्ट हो चुका है कि वादी विवादित सम्पत्ति का तनहा स्वामी काविज दखील नहीं है तथा वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। वाद बिन्दु संख्या ०५ से स्पष्ट है कि वाद धारा-३४ विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है। तब वादी किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादीगण को वादी से कोई विशेष हर्जा दिलाया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वादी अपना वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध साबित करने में असफल रहा है तथा वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध सव्यय निरस्त होने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध सव्यय निरस्त किया जाता है।

दिनांक १२.०७.२०१९

(प्रशान्त कुमार सिंह)

सिविल जज(सी०डिं)एफ.टी.सी.

श्रावस्ती स्थान भिनगा।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।
दिनांक १२.०७.२०१९

*Self Attested
Ranjan Singh
Sec DLSA*

(प्रशान्त कुमार सिंह)

सिविल जज(सी०डिं)एफ.टी.सी.

श्रावस्ती स्थान भिनगा।